न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चंद जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 23/2019 ::

अपीलांटगण :–

1. श्री प्रेमसिंह पुत्र बिड़दसिंहजी
2. श्री दुर्गेशसिंह पुत्र बिड़दसिंहजी
3. श्रीमती सज्जनकंवर पत्नी बिड़दसिंहजी जातिगण पुरोहित, निवासीगण पिलोवनी, तहसील रानी जिला पाली
4. श्रीमती सीतादेवी पुत्री बिड़दसिंहजी पत्नी मंगलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी पुरोहितों का बास, बीती, तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
5. श्रीमती सुगनकंवर पुत्री बिड़दसिंह पत्नी रामरतनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी पुरोहितों का बास, बीती, तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
6. श्रीमती मंजूकंवर पुत्री बिड़दसिंह पत्नी रतनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी धुरासनी तहसील सोजत जिला पाली (राज.)
7. श्रीमती गुलाबकंवर पुत्री बिड़दसिंह पत्नी घनश्यामजी जाति राजपुरोहित निवासी धुरासनी हाल निवासी मुम्बई पता गुरू गोविन्दसिंह मार्ग, न्यू राहुल नगर, जयशास्त्री नगर, मुलूण्ड कॉलोनी, मुम्बई (महाराष्ट्र) 400082
8. श्रीमती पुष्पा पुत्री बिड़दसिंह पत्नी मोतीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी तालकिया हाल निवासी रूम नं. 1–2–एफ, शिव सदन, कचिगाम रोड, वापी, पारडी, वलसाड़ (गुजरात)
9. श्रीमती सुशीला पुत्री बिड़दसिंह पत्नी श्रवणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी तालकिया तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्टगण :–

तहसीलदार, पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित

–:: नि र्ण य ::–

जिला कलेक्टर, पाली

दिनांक :–14.10.2019

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 570 दिनांक 08.01.2016 ग्राम सापूनी पटवार हल्का सोडावास, तहसीलदार पाली के पेश की गई है। अपील अपीलाण्ट सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टगण को जरिए सम्मन तलब किया गया तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा वक्त बहस कथन किया कि ग्राम सापूनी तहसील पाली के खसरा नम्बर 142/1 रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि स्थित है तथा अपीलाण्ट के पिता का देहान्त दिनांक 14.12.2012 को हो गया। जैर अपील भूमि अपीलाण्ट के पूर्वजों द्वारा जो पिलोवनी में रहते थे, उनके द्वारा क्रय की गई। पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र व ग्राम पंचायत घेनड़ी द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न पत्रावली का हवाला देते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रमाण पत्रों की प्रतियां पटवार हल्का के समक्ष पेश कर दी गई थी तथा वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु कहा, अपीलाण्ट 1 से 3 लम्बे समय से बाहर गुजरात में रहने तथा शेष सभी अपीलाण्ट अपने ससुराल रहती है तथा हाल में दिनांक 29.07.2019 को पाली आने पर जमाबन्दी की प्रति के.सी.सी. बनाने हेतु ली, तो पता चला कि खातेदारी भूमि अभी तक अपीलाण्ट के पिता के नाम ही दर्ज है। अपीलाण्टगण का नाम दर्ज नहीं किया गया है। जरिये अधिवक्ता जानकारी कराने पर पता चला की तहसीलदार पाली द्वारा दिनांक 08.01.2016 को नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिया गया तथा नामान्तरकरण की प्रति 30.07.2019 को प्राप्त की तथा अपील पेश की गई, जिसे अन्दर म्याद फरमावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि नामान्तरकरण स्वीकृत होने से पूर्व न तो अपीलाण्टगण को सुना गया, न ही नोटिस दिया गया, न ही साक्ष्य सबूत पेश करने तथा सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया गया तथा बाले–बाले ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर गैर अपील नामान्तरकरण अस्वीकार कर दिया। जिससे अपीलाण्टगण के हक–हकूक प्रभावित हुए है। पटवार हल्का को अपीलाण्ट के पिता विड़दसिंह की मौत के पश्चात् सभी दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकारियों की सूची, जो ग्राम पंचायत घेनड़ी द्वारा जारी की गई है, उपलब्ध कराने के बावजूद भी नामान्मरकरण स्वीकृत करने के बाद में "अ" लगाकर अस्वीकृत कर दिया। उक्त कृत्य कूटरचना की तारीफ में आता है। उपरोक्त म्यूटेशन में भू अभिलेख निरीक्षक की दो बार रिपोर्ट दिनांक 30.08.2015 एवं 23.11.2015 को हो रखी है तथा पूर्व रिपोर्ट में भी बाद में स्वीकृत म्यूटेशन को अस्वीकृत करने के लिए " उक्त नामान्तरकरण खारिज योग्य है, जोड़ा गया। पटवार हल्का द्वारा विधिनुसार नामान्तरकरण भरा गया, लेकिन भू अभिलेख

जिला कलेक्टर, पाली

निरीक्षक व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण में कांट छांट कर अस्वीकृत कर दिया है, जो विधि सम्मत नहीं है। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर्यन्त उसके वारिसान के नाम ही बाद जांच के पटवार हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरा जाकर बाद भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जाता है, लेकिन जैर अपील नामान्तरकरण में तो वारिसान के नाम भरा हुआ नामान्तरकरण बिना किसी ठोस, वैध व न्यायोचित कारण के निरस्त कर दिया तथा भूमि अपीलाण्टगण के पिता के नाम ही रखने हेतु नामान्तरकरण खारिज कर दिया। इस प्रकार के आदेश को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण को पूनः स्वीकृति हेतु मातहत अदालत को आदेशित किया जावें।

अधिवक्ता अपीलाण्टगण की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के मूल नामान्तरकरण का भी अवलोकन किया गया, अपीलण्टगण के हक–हक़ूकों का प्रश्न होने से म्याद के बिन्दु को गौण मानते हुए अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अपीलाण्टगण के पिता की मृत्यु दिनांक 14.12.2012 को हो गई। यह तथ्य ग्राम पंचायत घेनड़ी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमांक 11651 दिनांक 26.12.2012 को जारी किया गया, उससे स्पष्ट है तथा नामान्तरकरण भरने से पूर्व वारिसान की जांच नहीं की गई, न ही नोटिस दिया गया। यह तथ्य भू अभिलेख निरीक्षक की दोनों रिपोर्ट जो नामान्तरकरण संख्या 570 पर की गई तथा उसी आधार पर नामान्तरकरण अस्वीकृत किया, उससे स्पष्ट है। तहसीलदार को मृतक विड़दसिंह के उत्तराधिकारियों की जांच कर उनको नोटिस देकर सुना जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु आदेश पटवार हल्का सोनाई मांजी को देना चाहिए था, ऐसा नहीं कर तहसीलदार पाली द्वारा बहुत बड़ी विधिक भूल की है। नामान्तरकरण किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान के नाम ही भरा जाना होता है तथा स्व.विड़दसिंह सापूनी का निवासी नहीं होकर पिलोवनी का था। उसकी मृत्यु पर्यन्त बिना उसके वारिसान की जांच किए भर देने से वारिसान की जांच कर रिपोर्ट के साथ नामान्तरकरण भरकर प्रस्तुत करने के आदेश न देकर तहसीलदार पाली द्वारा नामान्तरकरण ही खारिज कर दिया, जिसे कतई न्यायोचित व विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 570 ग्राम सापूनी पटवार हल्का सोनाई मांजी तहसील पाली पर पारित अस्वीकृत के दिनांक 08.01.2016 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है तथा इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व. विड़दसिंह पुत्र किशनसिंह कौम पुरोहित निवासी पिलोवनी तहसील देसूरी के विधिक वारिसान की जांच कर उनको

जिला कलेक्टर, पाली

सुनवाई का अवसर दिया जाकर एक माह की अवधी में ———————— वारिसान के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को मूल नामान्तरकरण पालनार्थ प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चंद जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)